

## कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

पत्रांक- 4301

/मीरजापुर/15, जल जीवन मिशन/दिनांक जून 09

2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,  
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

विषय-

जनपद-मीरजापुर के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन योजना के तहत दाँती ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु प्रस्तावित पेयजल पाइप लाइन बिछाये जाने से प्रभावित 0.7694 हे० आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति प्रस्ताव।

सन्दर्भ-

कार्यालय अधिशासी अभियंता, अभाव खण्ड, उ०प्र० जल निगम, मीरजापुर का पत्रांक-2673/दाँती पे०यो०/263, दिनांक 02.06.2022 (जो इस कार्यालय में दिनांक 09.06.2022 को प्राप्त हुआ)।

महोदय,

जनपद-मीरजापुर के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन योजना के तहत दाँती ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु प्रस्तावित पेयजल पाइप लाइन बिछाये जाने से प्रभावित 0.7694 हे० आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति प्रस्ताव के सम्बन्ध में ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/PIPELINE/152749/2022 एवं ऑफलाइन प्रस्ताव 05 प्रतियों में उपलब्ध कराया गया है।

इस कार्यालय द्वारा परीक्षणोपरान्त भाग-2 से सम्बन्धित विवरण पूर्ण कर अपेक्षित सूचनाओं/संलग्नकों सहित भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के गाइड लाइन के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर संस्तुति सहित 04 प्रतियों में मय पेन ड्राइव सहित (04नग) आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(पी०एस०त्रिपाठी)

प्रभागीय वनाधिकारी,

मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

संख्या

4301

अ/समदिनांक

1. प्रतिलिपि-अधिशासी अभियंता, अभाव खण्ड, उ०प्र० जल निगम, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि-उप प्रभागीय वनाधिकारी, चुनार को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रतिलिपि-क्षेत्रीय वन अधिकारी, विण्डमफाल एवं मडिहान रेंज को इस आशय से प्रेषित कि विषयक प्रकरण में भारत सरकार/उ०प्र० शासन द्वारा जब तक प्रस्तावित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य करने की अनुमति प्राप्त न हो जाय, वन भूमि पर कोई भी गैर वानिकी कार्य न होने दे, यह दायित्व आपका होगा।

(पी०एस०त्रिपाठी)

प्रभागीय वनाधिकारी,

मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर